न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 106/2020

1 हरफूल पुत्र नन्दाराम।
2 जगदीश पुत्र नन्दाराम।
3 लाडा देवी पत्नी नन्दाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कांसरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हेमाराम पुत्र चन्द्राराम।
2 चौथमल पुत्र भागीरथ।
3 रामेश्वर दत्तक पुत्र ईश्वरराम।
4 खेताराम पुत्र हरबक्स।
5 गोपाल पुत्र हरला समस्त जाति जाट निवासीगण कांसरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।
7 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा श्रीमाधोपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।
8 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीमाधोपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।
10 भूमिधारी तहसीलदार तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला बउनवानी हेमाराम बनाम रामेश्वर मुकदमा
नम्बर 05/2019 आदेश दिनांक 03.11.2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मोहनसिंह मूण्ड, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 21.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2019 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण /रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 व अन्य सहखातेदारान की भूमि खसरा नम्बर 499/1 रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम कांसरड़ा पटवार हल्का कांसरडा तहसील खण्डेला जिला सीकर की तन में अवस्थित है जिसमें पुख्ता मकान बनाकर परिवार सहित आवास निवास करते चले आ रहे हैं जिसमें आने जाने का रास्ता वर्षो पुराना कदीम खसर नम्बर 499/2,720/499,405,404,511/681,511/682 में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता होना बताकर आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय में दिनांक 20.03.2020 को अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 5 के विरूद्व पेश किया गया जिसकी तामील होने पर अपीलांट दिनांक 26.10.2020 को उपस्थित आये और दिनांक 02.11.2020 को प्रारम्भिक आपत्ति दर्ज की जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रकरण में उभयपक्ष ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 11.02.2022 को राजीनामा प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त करने एवं खसरा नम्बर 404 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे के बजाय अपीलांट के ही हक अधिकार व खातेदारी की भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 502/660 रकबा 1.4200 हैक्टेयर वाके कांसरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडा रास्ता कायम कर दिया गया है तथा खसरा नम्बर 502/660 रकबा 1.4200 हैक्टेयर में से रास्ते की भूमि का रकबा 0.0432 हैक्टेयर कायम कर उक्त रकबा रास्ते हेतु अमल दरामद के आदेश दिये जाने के आदेश प्रदान करावें। विचारण न्यायालय के विचाराधीन आदेश की पालना में खसरा नम्बर 404 में दर्ज रास्ते का रकबा 0.0384 हैक्टेयर पुन खातेदारों के नाम दर्ज करने के आदेश दिया जावें। उभयपक्ष के निवेदन पर न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। मुताबिक राजीनामा अपील निर्णित की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में उभयपक्ष ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 11.02.2022 को राजीनामा प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त करने एवं खसरा नम्बर 404 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे के बजाय अपीलांट के ही हक अधिकार व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 502/660 रकबा 1.4200 हैक्टेयर वाके कांसरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडा रास्ता कायम कर खसरा नम्बर 502/660 रकबा 1.4200 हैक्टेयर में से रास्ते की भूमि का रकबा 0.0432 हैक्टेयर कायम कर उक्त रकबा रास्ते हेतु अमल दरामद के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय के विचाराधीन आदेश की पालना में खसरा नम्बर 404 में दर्ज रास्ते का रकबा 0.0384 हैक्टेयर पुन खातेदारों के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है। उभयपक्ष के निवेदन पर न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय के विचाराधीन आदेश की पालना में खसरा नम्बर 404 में दर्ज रास्ते का रकबा 0.0384 हैक्टेयर पुन खातेदारों के नाम दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करने का आदेश दिया जाता है। राजीनामे के अनुसार अपीलांट के ही हक अधिकार व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 502/660 रकबा 1.4200 हैक्टेयर वाके कांसरड़ा तहसील खण्डेला ज़िला सीकर की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडा रास्ता कायम कर खसरा नम्बर 502/660 रकबा 1.4200 हैक्टेयर में से रास्ते की भूमि का रकबा 0.0432 हैक्टेयर कायम कर उक्त रकबा रास्ते हेतु अमल दरामद के आदेश दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर